

Government of Rajasthan Finance (Financial Rules) Department



क्रमांक : प.1(4)वित्त / साविलेनि / 2006 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23 • 06 • 25

आदेश

विषय: सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड—। के भाग—। में संशोधन।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड—I के भाग—I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:—

1. The existing Rule 172 of GF&AR Part-I shall be substituted as under:-

"Rule 172. (1) In all cases where the excess, irregular and unauthorised payments made to any employee and come to the notice by Audit of Accountant General/Internal Audit or departmental officers, in the process of recovery a show-cause notice may be issued to the concerned employee informing him about the grounds of recovery and stating the intention to recover such excess payment. Representation/protest against the Show Cause Notice may not ordinarily be considered if submitted later than one month after date of receipt of the show cause notice by aggrieved Government servant. After consideration of representation if any, made by the employee, with the consultation of senior most Accounts Officer posted in the office, the Head of Office will issue order to the Drawing & Disbursing Officer to recover the amount.

(2) If Government servant from whom a recovery is ordered, is transferred to the jurisdiction of another Drawing and Disbursing Officer, the order of recovery shall be passed on to that Drawing and Disbursing Officer without delay."

(मनीष माधुर) संयुक्त शासन सचिव

.....2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :--

- 1. अति.मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- 3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
- 5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- 6. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
- 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
- 9. समस्त कोषाधिकारी ।
- 10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :--

- 1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - | 2/2025)

1,